कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर

क्रमांक– 67/सी.जे.एम./2026 सागर, दिनांक–02/11/2026

रिमाण्ड ड्यूटी (विविध आदेश)

मैं, श्रीमती नेहा बंसल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर म0प्र0, कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सागर के विविध आदेश क्रमांक 01 (दो–21–13)06 सागर दिनांक 13.01.2026 के अनुसार **देव उठनी ग्यारस पर्व** के परिप्रेक्ष्य में **दिनांक 20.11.2026** के लिये **संपूर्ण न्यायिक जिला स्थापना सागर** के लिये **स्थानीय अवकाश** घोषित होने एवं **डॉ0 हरिसिंह गौर जयंती** के परिप्रेक्ष्य में **दिनांक 26.11.2026** को **विशेष अवकाश (केवल न्यायिक जिला स्थापना सागर)** के लिये घोषित होने के फलस्वरूप उक्त अवकाश के दिनों में जिला मुख्यालय सागर एवं तहसील मुख्यालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की निम्नानुसार **रिमाण्ड ड्यूटी** नियत करती हूँ।

जिला मुख्यालय–सागर			
क्रं.	**न्यायाधीश का नाम**	**रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक**	
1.	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव	26.11.2026	
2.	श्रीमती खुशबु दांगी	20.11.2026	
तहसील मुख्यालय– बीना			
1.	श्री मृदुल जैन	20.11.2026	
तहसील मुख्यालय– खुरई			
1.	सुश्री प्रथा श्रीवास्तव	20.11.2026	
तहसील मुख्यालय– बण्डा			
1.	श्रीमती कंचन देव शिवहरे	20.11.2026	
तहसील मुख्यालय–रहली			
1.	श्री नितिन वर्मा	20.11.2026	
तहसील मुख्यालय–गढ़ाकोटा			
1.	श्री अम्बर श्रीवास्तव	20.11.2026	
तहसील मुख्यालय–देवरी			
1.	सुश्री निकिता चौहान	20.11.2026	
तहसील मुख्यालय–केसली			
1.	श्री कुलदीप नामदेव	20.11.2026	
तहसील मुख्यालय–शाहगढ़			
1	श्री मानवेन्द्र सिंह	20.11.2026	
तहसील मुख्यालय–मालथौन			
1	श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार	20.11.2026	

नोटः–

1. **यदि पुलिस रिमांड दिया जाता है तो पुलिस रिमांड की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से भेजी जावे।**
2. **रिमांड डयूटी मजिस्ट्रेट रिमांड के समय धारा 176 भारतीय नागरिक**

सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन पेश होने वाली एफ.आई. आर. की प्रति, 60/90 दिवस की निर्धारित अवधि के अभियोग पत्र भी प्राप्त करेंगे एवं धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत कथन भी लेखबद्ध करेंगे।

3. रिमाण्ड ड्यूटी के समय यदि कोई मजिस्ट्रेट अवकाश पर जाते हैं तो अवकाश आवेदन में उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी हेतु सहमति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट्स की सहमति बावत आवेदन में लेख करेंगे तथा सहमत मजिस्ट्रेट की अनापत्ति भी आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। अन्य कोई विशेष अवकाश होने पर एवं ऐसा कोई अवकाश जो उपरोक्त सूची में सम्मिलित न हो, उस दिन उस मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी, जिस मजिस्ट्रेट की ड्यूटी उक्त विशेष अवकाश घोषित होने के ठीक पूर्व के अवकाश की थी।

4. यदि किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य अवकाश के दिनों में उपलब्ध नहीं होते हैं तो कार्य विभाजन पत्रक के सामान्य आदेश के नोट कमांक–1 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड का रिमाण्ड कार्य भी सम्पादित किया जावे।

5. समस्त मजिस्ट्रेट को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अर्जित अवकाश/मेडीकल अवकाश/सी.सी.एल./अन्य लम्बी अवधि के अवकाश हेतु आवेदन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को प्रेषित किया जाता है, और उक्त अवकाश स्वीकृति की सूचना के पूर्व यदि रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश में उस मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जाती है और रिमाण्ड ड्यूटी लगने के बाद उक्त मजिस्ट्रेट का अवकाश स्वीकृत हो जाता है तो उस अवकाश हेतु आवेदन पेश करने वाले मजिस्ट्रेट का कर्तव्य होगा कि वह इस कार्यालय को अवकाश स्वीकृति की सूचना तत्काल प्रेषित करें, जिससे कि उनके स्थान पर अन्य मजिस्ट्रेट को रिमाण्ड ड्यूटी हेतु आदेशित किया जा सके।

6. **रिमाण्ड मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी के साथ–साथ प्रोटोकॉल ड्यूटी में भी सहयोग करेंगे।**

7. समस्त मजिस्ट्रेट को यह भी आदेशित किया जाता है कि वे बिना अनुमति के किसी भी स्थिति में मुख्यालय न छोड़ें।

1. **श्री अम्बर श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गढ़ाकोटा** के उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित अवकाश स्वीकृत होने की दशा में **रहली** में रिमांड डयूटी के दिन नियत/उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, **रहली के साथ–साथ गढ़ाकोटा** की भी रिमांड डयूटी एवं अति आवश्यक कार्य भी संपादित करेंगे तथा इस संबंध में संबंधित थाना प्रभारी को भी सूचित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2. **श्री मानवेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाहगढ़** के उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित अवकाश स्वीकृत होने की दशा में **बण्डा** में रिमांड डयूटी के दिन नियत/उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, **बण्डा के साथ–साथ शाहगढ़** की भी रिमांड डयूटी एवं अति आवश्यक कार्य भी संपादित करेंगे तथा इस संबंध में संबंधित थाना प्रभारी को भी सूचित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. **श्री कुलदीप नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केसली** के उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित अवकाश स्वीकृत होने की दशा में **देवरी** में रिमांड डयूटी के दिन नियत/उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, **देवरी के साथ–साथ केसली** की भी रिमांड डयूटी एवं अति आवश्यक कार्य भी संपादित करेंगे तथा इस संबंध में संबंधित थाना प्रभारी को भी सूचित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(श्रीमती नेहा बंसल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सागर

प्रतिलिपि :–

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सागर।
2. श्रीमान् सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर
3. रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट सागर।
4. समस्त मजिस्ट्रेट जिला सागर
5. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, सागर/खुरई/बीना/बण्डा/गढ़ाकोटा/रहली/देवरी/केसली/मालथौन/राहतगढ़/शाहगढ़
6. जूनियर एनॉलिस्ट, सर्वर रूम, सागर को समस्त मजिस्ट्रेटों को सूचित किए जाने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02/11/26

(श्रीमती नेहा बंसल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सागर